संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एसीटीएल/रिपोर्टिंग_विनियम/2023-24

Ref. No: IRDAI/ACTL/Reporting_Regulation/2023-24 दिनांक / Date: 12/02/2024

<u>एक्सपोज़र प्रारूप</u> Exposure Draft

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकन, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024

आईआरडीएआई ने दिनांक 29 जुलाई, 2022 के अपने आदेश के द्वारा परिषदों को निदेश दिया कि वे सिद्धांत आधारित व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होते हुए व्यवसाय को सुगम बनाने और विनियमों का सरलीकरण करने के प्रयोजन के लिए विनियमों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी हितधारकों से प्रतिनिधियों को लेते हुए एक विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन करें।

The IRDAI vide its order dated July 29, 2022 directed the Councils to constitute a Regulation Review Committee (RRC) comprising representatives from all stakeholder groups for the purpose of enhancing ease of doing business and simplifying regulations by moving towards principles based regime with a view to making them more effective.

इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधियों को लेते हुए नौ उप-समूह बनाये गये। अतिरिक्त रूप से, जहाँ भी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषज्ञता की आवश्यकता महसूस की गई, वहाँ कुछ उप-समूहों में उद्योग के कार्यकारियों को आमंत्रित किया गया।

Further, nine sub-groups drawing representations from various stakeholders were formed. Additionally, industry executives were invited to some of the sub-groups wherever the need for specific domain expertise was deemed necessary.

उक्त आरआरसी ने निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करने के बाद भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकन, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के लिए सिफारिश की:

The RRC recommended Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 after repealing the following regulations:

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 और अनुवर्ती संशोधन;
 - Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 and subsequent amendments;
- 2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002; Insurance Regulatory and Development Authority (Distributions of Surplus) Regulations, 2002;

- 3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016;
 - Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016;
- 4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 और अनुवर्ती संशोधन;
 - Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016 and subsequent amendments;
- 5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022; Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2022;
- 6. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016; Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016;
- 7. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और अनुवर्ती संशोधन; Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and subsequent amendments;
- 8. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विवरणियों का निरीक्षण और उनकी प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015; Insurance Regulatory and Development Authority of India (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015;
- 9. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण या अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016 Insurance Regulatory and Development Authority of India (Loans or Temporary Advances to Full Time Employees of the Insurers) Regulations, 2016.

उक्त आरआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और पालिसीधारकों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 संबंधी प्रारूप तैयार किया गया है और इसके साथ संलग्न किया गया है। After considering the recommendations of the RRC and also keeping the interest of the policyholders, the draft on Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 is prepared and annexed herewith.

प्रस्तावित विनियमों के प्रारूप का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों और विश्लेषण के प्रभावी निर्वहण के लिए सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंध प्रथाएँ विद्यमान हों जिनमें आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन, विनियामक रिपोर्टिंग, बोनस वितरण, आस्ति-देयता प्रबंध, शोधन-क्षमता, निवेश और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यह बीमाकर्ताओं को व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने, बीमा व्यापन में सुधार लाने और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण में वृद्धि करने में भी समर्थ बनायेगा।

The main objective of the proposed draft regulations is to ensure that sound and responsive management practices are in place for effective discharge of actuarial, finance and investment functions and analysis, covering the areas including but not limited to the valuation of assets and liabilities, regulatory reporting, bonus distribution, asset-liability management, solvency, investment and risk management. It will also enable insurers to promote ease of doing business, to improve insurance penetration and to enhance the protection of policyholders' interest.

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों (अनुबंध-क) के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, संलग्न फार्मेट (अनुबंध-ख) में 4 मार्च, 2024 को अपराह्न 5:00 बजे या उससे पहले <u>actuarial-policy@irdai.gov.in</u> को अग्रेषित करें और उसकी एक प्रति <u>lekshmipillai@irdai.gov.in</u> और <u>anson@irdai.gov.in</u> को भी भेजें।

All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations (Annexure-A) in the attached format (Annexure-B) on or before 5:00 PM on 4th March, 2024 to actuarial-policy@irdai.gov.in with a copy to lekshmipillai@irdai.gov.in and anson@irdai.gov.in
